न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2019/244 जीसीएमएस संख्या 2019/00136

1. प्रभू देवी पत्नी स्व. श्री रामगोपाल, जाति बारा गांव ब्राह्मण, निवासी सुल्तानिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. सीता पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति बारा गांव ब्राह्मण, निवासी सुल्तानिया, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
3. कौशल्या पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति बारा गांव ब्राह्मण, निवासी सुल्तानिया, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
4. गणेश नारायण पुत्र स्व. श्री रामगोपाल, जाति बारा गांव ब्राह्मण, निवासी सुल्तानिया, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
5. नर्बदा पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति बारा गांव ब्राह्मण, निवासी सुल्तानिया, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. विश्राम पुत्री स्व. श्री रामगोपाल, जाति बारा गांव ब्राह्मण, निवासी सुल्तानिया, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र मोहरू, जाति जाट, निवासी– चकवाडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. रामलाल उर्फ रामरतन पुत्र मोहरू, जाति जाट, निवासी– चकवाडा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
3. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर आदेश दिनांक 28.08.2019 अपील संख्या 7/2018 जिसके द्वारा तहसीलदार फागी द्वारा पारित नामा0 संख्या 2652 दिनांक 11.08.2018 को सही मानकर अपील खारिज की गई।

उपस्थित–

1. श्री चन्द्रशेखर दाधीच वकील अपीलांट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–16.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर के समक्ष तहसीलदार फागी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2652 दिनांक 11.05.2018 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर द्वारा अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश द्वितिय जयपुर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 2652 दिनांक 11.05.2018 को निरस्त करते हुये विवादित नामा0 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2177/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2189 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2179 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2188/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम चकवाडा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार गौरा बेवा मॉग्या थी। गौरा बेवा मांग्या की मृत्यु दिनांक 16.09.1970 को ही हो चुकी थी। जिसके बावजूद भी हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मृतक गौरा देवी के विरूद्ध, वर्ष 1999 में साजिशपूर्वक वाद पत्र पेश करके एकपक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 27–02–2003 का अवैध तरीके से करवा लिया। प्रार्थीगण के पति/पिता रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र ही उक्त गोरा बेवा मांग्या का विधिक वारिस है । इस संबंध में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 19–11–2007 को जारी किया जा चुका है। जिसके आधार पर ही उक्त गोरा बेवा मांग्या की अन्य भूमियां प्रार्थीगण के पति/पिता रामगोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड अमल दरामद हो चुकी है। उक्त अवैध निर्णय व डिकी की जानकारी होते ही रामगोपाल ने दिनांक 12–04–2007 को ही निर्णय व डिकी दिनांक 27–02–2003 के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा दिनांक 27.02.2018 को मियाद पर खारिज कर दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी रेस्पोडेंट्स को होने के बावजूद भी तथा आक्षेपित निर्णय व डिकी 27.02.2003 व संशोधित आदेश दिनांक 27.02.2018 के विरूद्ध अपील के विचाराधीन रहते हुए भी "कैम्प' में आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 2652 अवैध तरीके से तस्दीक करवा लिया। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 जाति से जाट है तथा मृतका गोरा बेवा मांग्या जाति से बारागांव ब्राह्मण है। ब्राम्हण जाति के व्यक्ति की भूमि, जाट जाति के व्यक्ति के नाम से दर्ज करने का कोई समुचित आधार या दस्तावेज (विक्रय पत्र, वसीयत, गिफ्ट डीड आदि) नहीं होने के बावजूद भी, मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आक्षेपित निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2003 के आधार पर आक्षेपित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। जबकि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 के विरूद्ध अपील संख्या 178/2018 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। गौरा बेवा मांग्या की अन्य भूमियों का नामान्तकरण भी अपीलान्ट्स के पिता/पति स्व. रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र के नाम खोले गये है। अतः अपीलाधीन आदेश द्वितिय जयपुर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 2652 दिनांक 11.05.2018 को निरस्त करते हुये विवादित नामा0 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 2652 विधि–संगत तरीके से गुणावगुण के आधार पर तथ्यों के अनुरूप सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री व आज्ञा के अनुसरण में तस्दीक किया गया है। सैशन न्यायालय द्वारा रामगोपाल को गौरा देवी का उत्तराधिकारी घोषित किया है और आराजी 425 व 426 ग्राम चकवाडा को प्राप्त करने एवं नामान्तरकरण खुलवाने हेतु उत्तराधिकारी घोषित किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट्स के हक में पारित की गई डिक्री अधीन आराजी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है। चुनौती अधीन आराजी के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं रहा है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश व डिक्री की पालना पारित की गई आज्ञा व डिक्री के अनुसरण में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर जयपुर द्वितिय द्वारा विधिवत् सभी रिकॉर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन करके ही अपील खारिज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित एवं विधिसम्मत है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा वाके ग्राम चकवाडा, तहसील फागी में स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 2177/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2179 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2188/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2189 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की डिक्री गोरा बेवा मांग्या के विरूद्ध एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 रामकुंवार व रामरतन जाति जाट के हक में डिक्री दिनांक 27.02.2003 को जारी की गई। तहसीलदार फागी द्वारा उक्त डिक्री दिनांक 27.02.2003 के अनुसरण में नामा0 संख्या 2652 दिनांक 11.05.2018 को तस्दीक किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 के विरूद्ध अपील संख्या 178/2018 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है। माननीय अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश सांभरलेक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.11.2007 की पालना में तहसीलदार फागी द्वारा खाता संख्या 99 की भूमि को छोडकर ग्राम चकवाडा की शेष खातेदारी खाता संख्या 100 की 3.09 बीघा एवं 101 की 6.02 बीघा भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पति/पिता स्व0 रामगोपाल के हक में खोले जाने के आदेश दिनांक 26.05.2008 को जारी किये जा चुके हैं। अपीलार्थीगण नामा0 संख्या 2652 पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुये आये हैं, जबकि अपीलार्थीगण के प्रश्नगत आराजी के संबंध में हक–हकूक, अधिकार न्यायालय राजस्व अपील

माननीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील के माध्यम से ही तय किये जा सकते हैं। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रौसेडिंग है। इसमें खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है, ना ही अधिकार तय किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर ही अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर द्वारा विधिवत् डिक्री दिनांक 27.02.2003 के अनुसरण में तस्दीक नामा० संख्या 2652 को सही मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलार्थीगण अपने हक–हकूक अधिकारों के लिए राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 178/2018 में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर द्वितिय, जयपुर का निर्णय दिनांक 28.08.2019 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।